न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 141/2018
दायर दिनांक :– 23.08.2018

अनवान

1. सोनु पुत्र प्रताप कंजर निवासी कंजर कॉलोनी पंडेर तहसील जहाजपुर
2. रतनी पुत्री मोहन लाल कंजर निवासी कंजर कॉलोनी पंडेर तहसील जहाजपुर

वादीगण..........

बनाम

1. दामा पिता जिणियाँ कंजर निवासी कंजर कॉलोनी पंडेर तहसील जहाजपुर
2. रूपा पिता जिणियाँ कंजर निवासी कंजर कॉलोनी पंडेर तहसील जहाजपुर
3. गंगा राम पिता गोपाल कंजर निवासी कंजर कॉलोनी पण्डेर हाल कुराडिया तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री बद्रीलाल मीणा, वकील वादीगण

:: निर्णय :: दिनांक 15.09.2022

वादीगण का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कंजर कॉलोनी प0 ह0 जसवन्तपुरा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 4357, 4358, 4359, 4362, 4400, 4403, 4415 कुल किता 07 रकबा 05–05 बीघा कृषि भूमि वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादीगण ही उक्त भूमी का लगान देते आ रहे है। वादीगण गरीब होने से कमा खाने बहार चले गये वापिस आ कर अपनी पैतृक भुमी की जानकारी सही नहीं होने के कारण भूमी की पत्थरगढी कराई जिसमें पाया की वादीगण का कब्जा जहाँ होना चाहिये वहा नहीं है। और वादीगण की भूमी पर किसी और का कब्जा पाया गया। पत्थरगढी पर्चा मौका में वादीगण की भूमी का प्रतिवादीगणो का कब्जा पाया गया वादीगण ने प्रतिवादीगण को अपनी जमीन पर से कब्जा खाली करने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने पर आमादा हुये और कब्जा नही छोडने की धमकी दी। प्रतिवादीगण धनिक एवं बल शाली व्यक्ति है जो आये दिन गरीब काश्तकारो की जमीन पर कब्जा करने के आदि है प्रतिवादीगण वादीगण की जमीन पर से कब्जा नही छोडा तो वादीगण को भूखो मरने की नौबत आ जायेगी इस लिये प्रतिवादीगणो को वादीगण की उक्त भूमी पर से बेदखल कर कब्जा वादीगण को सम्लाये जाने की डिक्री वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण पारित करना आवश्यक व न्यायोचित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी से पाबन्दा किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 09.06.2018 को वादीगण ने अपनी आराजी की पत्थरगढी की तो जानकारी हुई और प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने को कहा तो मना कर देने से वाद कारण उत्पन होकर निरन्तर जारी है। उक्त वर्णित कृषि आराजियात में से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को सिपुर्द कराये जाने की डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर पारित करावे। उक्त वर्णित कृषि आराजियात में प्रतिवादीगण का कब्जा हटा कब्जा वादीगण को सिपुर्द करने के

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

बाद प्रतिवादीगण वादीगण की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे इस बाबत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की मांग की।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादीगण ने वादपत्र की ताईद में खाता सं. 106 नकल जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 की प्रति प्रदर्श 1, दिनांक 09.06.2018 को कराई गई पत्थरगढी का मौका पर्चा प्रदर्श 2 है जो शामिल फाईल है। एवं ब्यान गवाह में स्वंय वादी सोनू पी. डब्ल्यु 1, रतनी पी. डब्ल्यु 2, गोपीचंद पी. डब्ल्यु 3, बीरबल पी. डब्ल्यु 4, भूरालाल पी. डब्ल्यु 5 के ब्यान करवाये गये, जिसे शा0 फा0 किया गया।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण बहस के दौरान बताया कि वादीगण आ. न. 4357, 4358, 4359, 4362, 4400, 4403, 4415 कुल किता 07 रकबा 05–05 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नही है। वादीगण की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी सं 1 से 3 का जबरन बनाया अवैध कब्जा हटवाकर एवं प्रतिवादी. 1 से 3 को बेदखल करा उक्त वर्णित भूमि का कब्जा वादीगण को दिलाये जाने की घोषणात्मक डिकी वादीगण के पक्ष में पारित की जावें एवं बाद कब्जा वादीगण को दिलाने पर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा काश्त में बाधा न डाले, न डलवावे की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण के आदेश प्रदान किये हेतु निवेदन किया गया।

मैने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी नकल सम्वत 2069–72 प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 4357, 4358, 4359, 4362, 4400, 4403, 4415 कुल किता 07 रकबा 05–05 बीघा कृषि भुमि वादीगण के नाम दर्ज है। आ0 स0 4357, 4358, 4359, 4362, 4400, 4403, 4415 कुल किता 07 रकबा 05–05 बीघा भू भाग पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने मौके पर कब्जा कर लिया है, जिसकी ताईद प्रस्तुत पत्थरगढी मौका पर्चा प्रदर्श 2 से होती है। प्रतिवादी सं. 1 से 3 उक्त भूमि पर अतिचारी है, जिन्होंने बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के वादीगण की भूमि पर कब्जा कर लिया है। अतः वादीगण अपनी भूमि से प्रतिवादी सं. 1 से 3 को बेदखल कराने का अधिकार रखते है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की खातेदारी भुमि खसरा नं. 4357, 4358, 4359, 4362, 4400, 4403, 4415 कुल किता 07 रकबा 05–05 बीघा कृषि भुमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा कब्जा कर लेने से वादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। उपरोक्तानुसार न्यायालय वादीगण के वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाना उचित समझता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी सं. 1 से 3 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कंजर कॉलोनी प0 ह0 जसवन्तपुरा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 4357, 4358, 4359, 4362, 4400, 4403, 4415 कुल किता 07 रकबा 05–05 बीघा भू भाग पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा किये गये कब्जे से प्रतिवादी सं. 1 से 3 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पर्चा डिकी मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

1. सोनु पुत्र प्रताप कंजर निवासी कंजर कॉलोनी पंडेर तहसील जहाजपुर
2. रतनी पुत्री मोहन लाल कंजर निवासी कंजर कॉलोनी पंडेर तहसील जहाजपुर

वादीगण..........

बनाम

1. दामा पिता जिणियाँ कंजर निवासी कंजर कॉलोनी पंडेर तहसील जहाजपुर
2. रूपा पिता जिणियाँ कंजर निवासी कंजर कॉलोनी पंडेर तहसील जहाजपुर
3. गंगा राम पिता गोपाल कंजर निवासी कंजर कॉलोनी पण्डेर हाल कुराडिया तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत – 183, 188 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 141/2018

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री बद्रीलाल मीणा का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि ..

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 से 3 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम कंजर कॉलोनी प0 ह0 जसवन्तपुरा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 4357, 4358, 4359, 4362, 4400, 4403, 4415 कुल किता 07 रकबा 05–05 बीघा भू भाग पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 द्वारा किये गये कब्जे से प्रतिवादी सं. 1 से 3 को बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 से 3 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे उपरोक्त विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.09.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

c@rider/dikri

Scanned with CamScanner